न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. नगर निगम जोधपुर दक्षिण जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री ताराचन्द वैंकट उपायुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण		1. अजयसिंह पुत्र स्व.श्री दौलतराम निवासी खेमे का कुआ, जोधपुर 2. श्रीमती कमला पत्नि स्व.श्री दौलतराम निवासी खेमे का कुआं, जोधपुर 3. तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 जो मूल नामान्तरकरण संख्या 194 ग्राम जोधपुर दिनांक 23.11.1970 में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत की जाकर खसरा संख्या 860/751 की जगह खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज की गयी।

उपस्थितिः– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एन.डी.निम्बावत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 20.02.2025

अपीलान्ट नगर निगम जोधपुर दक्षिण जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री ताराचन्द वैंकट उपायुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट अजयसिंह पुत्र स्व.श्री दौलतराम निवासी खेमे का कुआ, जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत किया जाकर खसरा संख्या 860/751 की जगह 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज की गयी प्रविष्टि को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने न्यायालय राजस्व मंत्री राजस्व उपनिवेशन सिंचित क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के समक्ष एक निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के द्वारा जरिये मिसल संख्या 400/56 शिवजी हरजी पुत्र नत्थुजी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.01.1957 जोधपुर के खसरा संख्या 751/23 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि उनके पूर्वजो के नाम घोषित किया जाकर खातेदारी में अंकन किया गया। उक्त दोनों खसरा को मिलाकर बनाये गये खसरा संख्या 751/860 रकबा 28 बीघा भूमि में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर निगरानीकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.05.1970 व 09.06.1970 के द्वारा उनके खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर उक्त भूमि को सिवाय चक राजकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दी। उक्त सिवाय चक भूमि को वर्ष 2015 में विधिवत रूप से अपीलार्थी नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित कर दी गई। निगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को न्यायालय मंत्री राजस्व, उपनिवेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

सिंचित क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.07.2019 के द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया की उक्त प्रकरण खातेदारी अधिकारो की घोषणा के समान होने के कारण उक्त निहित विवादक को सक्षम अधिकारिता वाले राजस्व न्यायालय के द्वारा ही विधि अनुसार सुनवाई कर तय किया जा सकता है। उक्त आदेश दिनांक 30.07.2019 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने रिव्यू याचिका अन्तर्गत धारा 85 क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मन्त्री राजस्व, उपनिवेशन सिंचित क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2019 को पारित करने से पहले रिव्यूकर्ता को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए आदेश दिनांक 30.07.2019 निरस्त कर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किया जावें। जिस पर माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर ने पक्षकारों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17.08.2021 के द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर निगरानी याचिका में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2019 को निरस्त कर खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि की सीमा तक जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.1970 व 09.06.1970 को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया तथा आदेश दिनांक 10.07.2015 को रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि की हद तक निरस्त कर दिया एवं मौजा जोधपुर के खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में निगरानीकार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 को खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के बाबत प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर एवं जिला कलेक्टर जोधपुर को एक माह में पालना करके पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये गये। न्यायालय मन्त्री राजस्व उपनिवेशन सिचिंत क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थार सरकार जयपुर के द्वारा निगरानी संख्या निगरानी/एलआर/संख्या/प–5(08)राज/3/2018 जोधपुर में पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार जोधपुर ने पूर्व में पारित नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में निर्णय दिनांक 17.08.2021 एवं हल्का पटवारी की जॉच रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 09.06.1970 को प्रभाव शून्य होने का हवाला देकर खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की सीमा तक नामान्तकरण को अस्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण 1 अजय सिंह एवं प्रत्यर्थीगण सख्या 2 श्रीमती कमला के नाम खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बिना किसी विधिक आधार के नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पालना में खसरा संख्या 860/751 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि को नये खसरा संख्या 2017/860 के रूप में दर्ज करना गलत अनुचित एवं नियम विरूद्ध है। खसरा संख्या 860/751 में स्थित भूमि में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रत्यर्थीगण का नाम निर्णय दिनांक 17.08.2021 के पालना में दर्ज करने की आड़ में उक्त प्रत्यर्थीगण के नाम से नये खसरा संख्या 2017/860 के रूप में दर्ज करना गलत अनुचित एवं अवैध है, नामान्तरकरण संख्या 194 में दिनांक 17.07.2023 को की गई प्रविष्टि शुरू से ही गलत अवैध एवं शून्य है, जिसको अपास्त किया जाना विधि सम्मत है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को की गई प्रविष्टि जिसके द्वारा निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पा[illegible] के नाम से खसरा संख्या 751/860 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस[illegible] खातेदारी का अंकन करते हुए खसरा संख्या 2017/860 [illegible] अपीलार्थी उक्त गलत अनुचित एवं नियम विरूद्ध [illegible] से कतई असं[illegible] एवं व्यथित होने से अपीलार्थी द्वारा इस नामान्तरकरण संख्या [illegible] प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत की गई आधारहीन प्र[illegible] दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

1. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पूर्व में पारित नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में निर्णय दिनांक 17.08.2021 एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 एवं जिला कलक्टर जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.1970 को प्रभाव शून्य होने का हवाला देकर खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की सीमा तक नामान्तरकरण को अस्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 एवं 2 के नाम खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बिना किसी विधिक आधार के नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पालना में खसरा संख्या 860/571 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम से दर्ज करने के साथ साथ उक्त रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि को नये खसरा संख्या 2017/860 के रूप में दर्ज करना गलत अनुचित एवं नियम विरूद्ध है।
2. तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 की कई प्रविष्टि विधि विरूद्ध एवं अभिलेख के सर्वथा विपरित है। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा जिस निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पालना में उक्त प्रविष्टि की गई उक्त निर्णय दिनांक 17.08.2021 में खसरा संख्या 860/751 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम से खातेदारी के अंकन करने बाबत पारित किया गया लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त निर्णय की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 का नाम खातेदारी में अंकन करने के साथ में उक्त खसरा संख्या 860/751 के अलावा नये खसरा संख्या 2017/860 अंकित किये गये है, जो कानूनन नामान्तरकरण कार्यवाही में अनुज्ञेय नहीं है, जिस कारण से नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.2023 में प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत की गई प्रविष्टि अपास्त किये जाने योग्य है।
3. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पालना में प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत करने में तथ्यात्मक एवं विधि की गम्भीर भूल कारित की गई है, जिस कारण से अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में स्वीकृत की गई प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 निरस्त किये जाने योग्य है।
4. मौजा जोधपुर के उक्त खसरा संख्या 860/751 की सम्पूर्ण भूमि विधिवत रूप से अपीलार्थी नगर निगम जोधपुर के नाम से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1773 के द्वारा दर्ज हो गई है, खसरा संख्या 860/751 की भूमि में से न्यायालय मन्त्री राजस्व उपनिवेशन सिचिंत क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम से खातेदारी का अंकन करना था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 का नाम अंकन के साथ में उनको उक्त भूमि में नये खसरा संख्या का अंकन करना गलत एवं नियम विरूद्ध है। कानूनन उक्त कार्यवाही उक्त भूमि का प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 तथा अपीलार्थी के द्वारा धारित भूमि का विधिवत रूप से तरमीम होने से ही किया जा सकता था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही में नये खसरा संख्या अंकित कर दिये गये जो विधि सम्मत नहीं हे जिससे अपीलार्थी के हक अधिकार विपरित रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिए न्यायहित में नामान्तरकरण संख्या 194 में प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा बिना किसी विधिक आधार के स्वीकृत की गई प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 अपास्त किये जाने योग्य है।
5. अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत की गई प्रविष्टि विधि के मूल सिद्धान्तों के विपरित विधि विरूद्ध एकतरफा मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से न्यायहित में काबिले निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में की गई आलौच्य प्रविष्टि की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम अभी हाल ही में होने पर अपीलार्थी के द्वारा इस नामान्तरकरण संख्या 194 एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल लेकर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की जा रहीं है इसलिए यह अपील अपीलार्थी को इस प्रविष्टि की

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद शुमार की जानी न्यायोचित है, तथापि आलौच्य नामान्तरकरण की प्रविष्टि की स्वीकृति की दिनांक 17.07.2023 से परिसीमा की गणना करने पर उक्त अपील को प्रस्तुत करने में रही सद्‌भाविक देरी को क्षम्य किये जाने हेतु अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत की गई प्रविष्टि को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एन.डी.निम्बावत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 751/23 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि को श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 29.05.1970 व दिनांक 09.06.1970 को सिवाय चक घोषित कर खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा का नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 पारित किया तथा सन् 2015 में यह भूमि नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित कर दी गई। जिला कलेक्टर के उक्त आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने निगरानी अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान भू अधिनियम के तहत प्रस्तुत की उक्त निगरानी दिनांक 30.07.2019 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 85 क के तहत प्रस्तुत किया गया जो रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.08.2021 को पारित कर खसरा संख्या 860/751 मे से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी प्रदान की गई। राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के निगरानी आदेश दिनांक 17.06.2021 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा नामान्तकरण संख्या 194 में दर्ज खसरा संख्या 860/751 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 17.07.2023 की प्रविष्टि अमल दरामद की गई जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर द्वारा ऐसा नही किया जा सकता जो कि विधि विरूद्ध है। खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की तरमीम नही की गई इस कारण यह प्रविष्टि किये जाने योग्य होने से अपील स्वीकार की जावे तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा माननीय राजस्व मंत्री उपनिवेशन सिंचित क्षेत्र एवं विकास एवं उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा पारित रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.08.2021 की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदगी नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 30.11.1970 मे से खसरा संख्या 860/751 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की स्वीकृति दिनांक 17.07.2023 जिसमें खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की अपील पेश करने मे जो विलम्ब हुआ इस प्रविष्टि की पहली बार जानकारी जब सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील हेतु उक्त प्रविष्टि से संबंधित जानकारी हुई और जानकारी होते ही अन्दर म्याद यह अपील पेश की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत की गई प्रविष्टि को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री [illegible] चौधरी ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज [illegible] वल्द नत्थुजी एवं हरजी वल्द नत्थुजी के नाम कब्जा काश्त के आधार पर खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा शिवजी वल्द नत्थुजी एवं खसरा [illegible] 751/23 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा शिवजी व हरजी वल्द नत्थुजी के नाम उपनिवेश अधिकारी जोधपुर द्वारा मिसाल संख्या 400/56 बअनवान शिवजी बनाम सरकार मे निर्णय दिनांक 29.11.1956 को खातेदारी दी गई थी यानि की खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 751/23 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि के अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अलग राजस्व नक्शे मे खसरे बने हुए थे। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.05.1970 व दिनांक 09.06.1970 के द्वारा खसरा संख्या 751/33 एवं 751/23 का नया खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा दर्ज कर नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 स्वीकार किया गया। जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 29.05.1970 व 09.06.1970 एवं दिनांक 10.07.2015 को यह भूमि नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरण आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी संख्य 1 व 2 द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर का आदेश दिनांक 09.06.1970 एवं उसके बाद पश्चातवृति कार्यवाही को निरस्त कर खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा (नया खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा) की खातेदारी बहाल किये जाने हेतु पेश की, जिस पर निगरानीकर्ता एवं अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 तहसीलदार जोधपुर की उपस्थिति में सुनवाई की गई। राजस्व मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 30.07.2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बिना सुने निगरानी खारिज की गई जिसका रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 85क राजस्थान भू अभिलेख 1956 प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा दिनांक 17.08.2021 को निर्णय पारित कर खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा (नया खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा मे से 12 बीघा 18 बिस्वा) तक खातेदारी बहाल की गई। उक्त आदेश की पालना में एवं हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 के तहत खसरा संख्या 860/751 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसके खसरा नम्बर 2017/860 दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी के नाम सम्वत 2012 से खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा राजस्व नक्शे मे तरमीमसुदा रहा था जो नामान्तकरण संख्या 194 पारित किया वो प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के दो खसरान 751/33 एवं 751/23 को खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया गया तब रकबा एकीकृत किया गया नक्शा तो वही था जो आज है जिस पर प्रत्यर्थी काबिज काश्त सम्वत 2012 से चला आ रहा है, क्योकि खसरा संख्या 751/33 सेटलमेन्ट का खसरा था दो खसरो को सिवायचक दर्ज करने से रकबा संयुक्त हो गया नक्शा तो पहले वाला ही था जहा काबिज काश्त चले आ रहे है तथा जब संयुक्त रकबे मे से पार्ट रकबा अलग दर्ज किया जाता है तो राजस्थान भू राजस्व नियमानुसार एक खसरा नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है अन्यथा पहचान कैसे होगी। नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 मे दिनांक 17.07.2023 की गई प्रविष्टि की अमल दरामदगी माननीय न्यायालय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा पारित रिव्यू निगरानी आदेश दिनांक 17.08.2021 की पालना हेतु की गई जबकि निगरानी रिव्यू आदेश दिनांक 17.08.2021 के विरूद्व अपीलान्ट नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) जरिये कमिश्नर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ में एक SB C.W. No.1643/2024 बअनवान जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) जरिये कमिश्नर बनाम अजयसिंह व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा उक्त सिविल रिट दिनांक 01.05.2024 को खारिज कर राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा पारित निगरानी आदेश दिनांक 17.08.2021 को यथावत रखा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2024 के विरूद्व नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में स्पेशल अपील पेश की जो डीबी स्पेशल अपील संख्या 642/2024 बअनवान नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर जरिये कमिश्नर बनाम अजयसिंह व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्पेशल अपील दिनांक 19.0 .2024 को खारिज फरमा दी गई और निगरानी आदेश दिनांक 17.08.2021 एवं एकलपीठ का आदेश दिनांक 01.05.2024 को यथावत रखा गया इससे स्पष्ट हो रहा है कि नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी दर्ज करने की प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 को जिस आदेश की पालना मे दर्ज किया गया वो

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश अपीलार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ तक हार चुका है मूल आदेश के यथावत रहते उस आदेश की पालना की गई प्रविष्टि निरस्त नही की जा सकती है। साथ ही कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा सम्वत 2012 खसरा संख्या 751/33 रकबा 12.18 बीघा पर चला आ रहा है सेटलमेन्ट से खसरे का नक्शा रकबानुसार बना हुआ। मात्र दो खसरो को मिलाने से रकबा एक हो गया लेकिन नक्शा तो वही रहेगा जिस पर कब्जा से अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा पूरे को खालसा भूमि बताने का एक यू. ओ. नोट जारी किया गया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ में एक सिविल रिट नम्बर 12931/2024 बअनवान अजयसिंह व अन्य बनाम नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर जरिये कमिश्नर व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 26.07.2024 को स्टे किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के कब्जेसुदा खेत पर बन रही बाउण्ड्री वाल में कोई बाधा न उत्पन्न करने का आदेश दिया गया यानि जहा कब्जा था के आधार पर वर्तमान नक्शा बना है। दूसरा यहा सिर्फ नामान्तकरण से संबंधित ही सुनवाई है, तरमीम का प्रश्न नही साथ मूल खसरा संख्या 751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वक्त सेटलमेन्ट का बना हुआ है जो उस समय से नक्शे मे रकबे के आधार पर दर्ज रहा है तो कोई नई तरमीम भी नही मानी जा सकती। साथ हल्का पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट जिसमें खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा (पूराना 751/33 (860/751) में बना आगे कथन किया कि अपील म्याद बाधित है क्योकि जब निगरानी आदेश दिनांक 17.08.2021 की पालनार्थ नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 मे से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 17.07.2023 को अमल दरामद करने के बाद अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ और खण्डपीठ मे सिविल रिट और स्पेशल अपील (रिट) पेश की गई जो कि एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 17.08.2021 को यथावत रखा एवं मौके पर चार दीवारी बनाने पर भी कोई बाधा न डालने का आदेश दिये जाने से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश व प्रविष्टि की अपीलान्ट को प्रथम दिन जानकारी थी अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई कारण अंकित नही किया अर्थात अपील डिले कम मैरिट पर खारिज किये जाने निवेदन किया गया है तथा इसके अलावा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की सिविल रिट पिटीशन संख्या 1643/2024 बअनवान जोधपुर नगर निगम दक्षिण जोधपुर बनाम अजयसिह व अन्य निर्णय दिनांक 01.05.2024, डी.बी.स्पे.अपील (रिट) संख्या 642/2024 बअनवान जोधपुर नगर निगम दक्षिण जोधपुर बनाम अजयसिह व अन्य निर्णय दिनांक 19.07.2024, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12931/2024 बअनवान अजयसिंह व अन्य बनाम जोधपुर नगर निगम दक्षिण जोधपुर, माननीय न्यायालय मंत्री, राजस्व, उपनिवेशन, सिचिंत क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की निगरानी/एल.आर./संख्या/प05(08) राज/3/2018 जोधपुर बअनवान अजयसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार जोधपुर, नगर निगम जोधपुर निर्णय दिनांक 17.08.2021 व उपखण्ड अधिकारी जोधपुर की खातेदारी मिसल आदेश संख्या 400/56 सरकार बनाम शिवजी आदेश दिनांक 29.11.56 की प्रतियां प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर मनन एवं अवलोकन करने के बाद अदालत हाजा की राय में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जिस प्रविष्टि को गलत एवं विधि विरूद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने का निवेदन किया है के संदर्भ मे अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा की गई बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमें खातेदारी मिसल संख्या 400/56 बअनवान शिवजी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.11.1956 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ कि खसरा संख्या

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

751/33 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 751/23 रकबा 15.3 बीघा पर सम्वत 2009 से 2012 तक कब्जा काश्त शिवजी का होने से धारा 15 आरटी एक्ट के तहत खातेदारी प्रदान की गई यानि खसरा संख्या 751/33 व 751/23 वक्त सेटलमेन्ट से अस्तित्व में थे तथा यह भी साबित है कि खसरा संख्या 751/33 एवं 751/23 मे मर्ज कर खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा जरिये नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 दर्ज किया गया साथ ही राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के निगरानी रिव्यू आदेश दिनांक 17.08.2021 में भी खसरा संख्या 751/33 रकबा 12.18 बीघा (नया खसरा संख्या 860/751 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा) मे से रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा सीमा तक खातेदारी बहाल किये जाने का हवाला दिया गया एवं आदेश दिनांक 17.08.2021 की पालना में पटवारी हल्का की मौका फर्द में भी खसरा संख्या 860/751 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का ही बताया गया इसके अलावा जिस आदेश दिनांक 23.07.2023 के विरूद्ध अपील पेश की गई उक्त प्रविष्टि आदेश दिनांक 17.08.2021 पालना में अमल दरामदगी की गई वह मूल आदेश दिनांक 17.08.2021 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ रिट नम्बर 1643/2024 निर्णय दिनांक 01.05.2024 एवं खण्डपीठ में डीबी स्पेशल अपील संख्या 642/2024 निर्णय दिनांक 19.07.2024 के द्वारा भी यथावत रखा गया है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ मे सिविल रिट संख्या 12931/2024 निर्णय दिनांक 09.09.2024 में भी प्रत्यर्थी के कब्जे अनुसार बाउण्ड्री वाल निर्माण मे एवं पजेशन में कोई बाधा अपीलान्ट न पहुचाएं का आदेश दिनांक 09.09.2024 का पारित किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही जिसमें आदेश नगर निगम जोधपुर के खिलाफ एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे होने एवं नगर निगम जोधपुर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ व खण्डपीठ में डीबी स्पेशल अपील में निर्णय होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 194 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में दिनांक 17.07.2023 को स्वीकृत की गई प्रविष्टि को निरस्त किया जाने हेतु पेश की गयी है जबकि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट नगर निगम जोधपुर की एस. बी.सिविल रिट संख्या 1643/2024 व डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 642/2024 खारिज की जा चुकी है तथा इसके अलावा अपील म्याद बाधित होने एवं चलने योग्य नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण प्रविष्टि दिनांक 17.07.2023 जो ग्राम जोधपुर के मूल नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 23.11.1970 में स्वीकृत किया जाकर खसरा संख्या 860/751 की जगह खसरा संख्या 2017/860 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की गयी को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:43 IST
Reason: SelfAttested